

न्यूज़ टुडे

हिमालय में हिमनदों के निवर्तन (पीछे हटना) से जल संकट उत्पन्न हो गया है

- एक हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि हिंदूकुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में हिमनदों के निवर्तन से सतही जल, भौमजल उपलब्धता और जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है।
- > ज्ञातव्य है कि इसरो (ISRO) के एक पूर्ववर्ती अध्ययन में यह रेखांकित किया गया था कि हिमालय के 75 प्रतिशत हिमनद खतरनाक दर से निवर्तित हो रहे हैं।
- मौसम में चरम परिवर्तन, वाष्णीकरण में वृद्धि और हिमनदों की मात्रा में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण जलवायु तापन (Climate warming) HKH क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।
- गुम्बज निष्कर्ष
 - > निवर्तन से अनुप्रवाह वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी।
 - > इससे भौमजल पुनर्नरण की दर भी प्रभावित होगी।
 - > हिमनदों के पिघलने में प्रत्याशित गिरावट के कारण भौमजल में गिरावट आएगी, जिससे गंगा बेसिन के सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है।
 - > प्रारंभ में, उपलब्ध पिघले हुए जल की मात्रा में वृद्धि होगी, परन्तु हिमनदों में जल का भंडारण कम होने से यह अकस्मात् कम हो जाएगा।
- HKH क्षेत्र आठ देशों द्वारा—अफगानिस्तान, भूटान, बांगलादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान तक विस्तृत है।
- > यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित दस प्रमुख ऐश्वर्याई नदी प्रणालियों का उद्गम स्रोत है।
- > लगभग 1.3 बिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से HKH परिवर्तन पर निर्भर हैं, जिनमें सिंचाई, विद्युत और पेयजल सुविधाएँ शामिल हैं।

The Major river basins in the Hindu-Kush Himalayas



ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको-लेबल (Blue Flag International eco-label) के लिए भारत के आठ पुलिनों (beaches) की अनुशंसा की गई है

- इन आठ पुलिनों में शामिल हैं: गुजरात में शिवाराजपुर, दमन एवं दीव में घोघला, कर्नाटक में कासरकोड एवं पुतुविड़ी, केरल में कपड़, आंध्र प्रदेश में रुषिकोंडा, ओडिशा में गोल्डन बीच तथा अंडमान एवं निकोबार में राधानगर बीच है।
- ब्लू फ्लैग बीच (Blue Flag beach) एक इको-पर्यटन मॉडल (Eco-tourism model) है, जो पर्यटकों या बीच पर जाने वालों के लिए स्नान हेतु स्वच्छ एवं साफ जल, मूलभूत सुविधाएँ व सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाता है तथा क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करता है।
- यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एज्युकेशन (Foundation for Environment Education) द्वारा प्रदान किया जाता है। यह चार प्रमुख शीर्षकों में 33 मानदंडों पर आधारित है यथा: पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान हेतु जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण तथा समुद्र तटों पर सुरक्षा एवं सेवाएं।
- उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपनी एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना के तहत भारत का अपना इको-लेबल तटीय पर्यावरण एवं सुरक्षिपूर्ण प्रबंधन सेवा (Beach Environment & Aesthetics Management Services: BEAMS) आरंभ किया है।
- > BEAMS का उद्देश्य तटीय जल के प्रदूषण को कम करना, बीच पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करना आदि है।
- > ICZM तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

आयातकों के लिए FTA रियायतें प्राप्त करने हेतु नए नियम लागू होंगे

- राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 [Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules (CAROTAR)] 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।
- CAROTAR, 2020 का उद्देश्य भारत में मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के तहत निर्यात को बढ़ावा देकर निर्यात के माध्यम से होने वाली शुल्क अपवंचना (duty evasion) को समाप्त करना है।
- > FTAs, शून्य या रियायती मूल सीमा शुल्क शुल्क दर पर अधिकांश वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करते हैं। जांच से स्पष्ट हुआ है कि संविधित FTAs के तहत उद्गम नियमों (उत्पत्ति के नियमों: ROO) का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।
- > ROO मापदंड, किसी देश में आयातित उत्पाद के राष्ट्रीय उद्गम का निर्धारण करने के लिए तय किए जाते हैं।
- > यह माना जाता है कि चीन में निर्मित वस्तुओं को बिना किसी पर्याप्त मूल्य संवर्धन के ऐसे देशों के माध्यम से भारत को निर्यात किया जाता है, जिनके भारत के साथ FTAs होते हैं।
- वर्तमान में, आयातकों को निर्यातिक देश द्वारा जारी उद्गम प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- नए नियमों के तहत, आयातकों को FTAs के तहत शुल्क रियायत का दावा करने के लिए मूल देश से वस्तुओं में 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन का साथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- > इन नियमों में चूनातम जानकारी की एक सूची भी प्रदान की गई है, जो आयातक के पास होनी चाहिए।

भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मत्स्यन सब्सिडी (Fisheries Subsidy) पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

- WTO के सदस्य अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मत्स्यन (illegal, unreported and unregulated) के लिए सब्सिडी को समाप्त करने तथा अधिकाराता एवं अति-दौहन को बढ़ावा देने वाली मत्स्यन सब्सिडी के कुछ स्वरूपों को प्रतिबंधित करने के लिए नियमों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु वार्ता कर रहे हैं।
 - > वार्ताओं की शुरुआत वर्ष 2001 में दोहां मन्त्रिसंघीय सम्मेलन के दौरान हुई थी।
 - > हानिकारक सब्सिडियों का 14–20.5 बिलियन डॉलर वार्षिक होने का अनुमान लगाया गया है।
- सम्मेलन में, विकासशील देशों ने मत्स्यन करने वाले छोटे समुदायों की सुरक्षा के लिए विशेष एवं विशेषित उपचार (special and differential treatment: S&DT) करने की मांग की थी।
 - > S&DT विशेष प्रावधान हैं, जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं तथा अन्य सदस्यों को उनके साथ अधिक अनुपालन व्यवहार करने की अनुमति देते हैं।
 - > संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने विकासशील देशों के लिए S&DT का विशेष किया है, क्योंकि इससे कुछ बड़े विकासशील देशों (विशेष रूप से चीन) को लाभ प्राप्त होगा।
- भारत के प्रस्ताव के अनुसार एक विकासशील देश छूट के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—
 - > उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income: GNI) लगातार तीन वर्षों में 5,000 डॉलर को पार कर जाती है।
 - > वैश्विक समुद्री मत्स्यन में 2 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।
 - > कृषि, वानिकी और मत्स्यन क्षेत्रों की उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम है।
- भारत अपनी मत्स्यन सब्सिडी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इंधन, जाल और नौकाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों में कठौती करने से निर्धारण मञ्चुआरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश {Public Procurement (Preference to Make in India) Order}, 2017 में संशोधन किए गए

- इन संशोधनों का उद्देश्य मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना तथा भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देना है। (संशोधनों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)
- सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 उन कंपनियों को सार्वजनिक खरीद में अधिकतम वरियटी प्रदान करेगा, जिनकी वस्तुओं और सेवाओं में स्थानीय सामग्री की मात्रा अधिक होगी।
 - > स्थानीय सामग्री का अर्थ है भारत में मूल्यवर्धन की मात्रा जो अधिप्राप्त (निवल घरेलू अप्रत्यक्ष कर छोड़कर) मद का कुल मूल्य घटा कुल मूल्य के अनुपात के रूप में मद में आयातित अंश (सभी सीमा शुल्कों सहित) का प्रतिशत मूल्य।
- इससे पूर्व जून में, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 को संशोधित किया गया था, जिसमें वर्ग-I और II तथा गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की अवधारणा को शामिल किया गया था।
 - > वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता का आशय एक ऐसे आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जिसकी खरीद के लिए प्रस्तुत की गई वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों में स्थानीय सामग्री 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
 - > वर्ग-II आपूर्तिकर्ता के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य है।
 - > वर्ग-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सभी सरकारी खरीद में सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त होगी।

New procurement rules

- Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017, amended, enabling nodal Ministries/Departments to notify higher minimum local content requirement for Class-I and Class-II local suppliers
- Earlier, minimum local content requirement for Class-I and Class-II local suppliers was fixed at 50% and 20%, respectively
- All administrative ministries/departments, whose procurement exceeds ₹1,000 crore per annum, to notify their procurement projections for the next five years
- An upper threshold value of procurement to be notified, beyond which foreign companies shall enter into a joint venture with an Indian company to participate in government tenders

अन्य सुर्खियाँ

ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स (Global Smart City Index (SCI))	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (Institute for Management Development) द्वारा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (Singapore University for Technology and Design) के सहयोग से जारी किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> > स्मार्ट सिटी को “एक शहरी व्यवस्था, जो लाभों को अधिकतम करने और शहरीकरण की कमियों का निवारण करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है” के रूप में परिचित किया गया है। ○ SCI, 2020 में सिंगापुर सर्वोच्च स्थान पर है, उसके उपरांत हेलसिंकी और ज्यूरिस्क्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ○ भारत में हैदराबाद को 85वां और नई दिल्ली को 86वां स्थान प्रदान किया गया है।
विश्व बैंक का मानव पूँजी सूचकांक 2020 (World Bank's Human Capital Index 2020)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह मानव पूँजी की उस मात्रा का एक माप प्रदान करता है, जिसके तहत वर्तमान में जन्म लेने वाले एक बालक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मानव संसाधन में रूपांतरित होने की अपेक्षा की जाती है। ज्ञातव्य है कि इस संदर्भ में उस देश में (जहां वह बालक जन्म लेता है) प्रचलित निम्नस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा के जोखिमों को भी संज्ञान में लिया जाता है। ○ सूचकांक में 174 देशों में सिंगापुर सर्वोच्च स्थान पर है तथा भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। <ul style="list-style-type: none"> > भारत का स्कोर वर्ष 2018 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2020 में 0.49 हो गया है।
कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार का ऋण 100 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो गया है (Union government's debt past Rs 100-trillion mark due to COVID 19)	<ul style="list-style-type: none"> ○ सरकार अपनी देयताओं को सामान्यतया दो श्रेणियों यथा— सार्वजनिक ऋण (Public debt) और लोक लेखा (public account) में वर्गीकृत करती है। ○ सार्वजनिक ऋण भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की कुल देयताएं हैं। इसे आगे आंतरिक और बाह्य ऋण में वर्गीकृत किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> > आंतरिक ऋण को विपणन योग्य (marketable) और गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों (non-marketable securities) में वर्गीकृत किया जाता है। ○ लोक खाते (public account) में आरक्षित निधि और निषेप तथा अन्य देयताओं के साथ—साथ विशेष समिक्षियों के विरुद्ध प्रतिभूतियां शामिल हैं। ○ वर्ष 2017 के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमों (Fiscal Responsibility and Budget Management rules) के तहत यह संस्तुति की गई थी कि सार्वजनिक ऋण मार्च 2023 तक GDP के 40 प्रतिशत से कम होना चाहिए।
वैज्ञानिक तथा उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (सुप्रा) योजना (Scientific and Useful Profound Research Advancement (SUPRA) Scheme)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह योजना मौलिक वैज्ञानिक समझ पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ, नई वैज्ञानिक सफलताओं का अन्वेषण करने का प्रयास करती है तथा अत्याधिक तकनीकों (disruptive technologies) को प्रस्तुत करती है। ○ योजना के महत्वपूर्ण मापन हैं: उन्नतियों का परिमाण, वर्धित वैज्ञानिक ज्ञान में अनुसंधान का सामर्थ्य, वैश्विक प्रभाव, उत्कृष्ट प्रकाशन आदि। ○ इसे विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board: SERB) ने अभिकल्पित किया है। <ul style="list-style-type: none"> > SERB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक साविधिक निकाय है। यह विज्ञान और अभियांत्रिकी में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा इस प्रकार के अनुसंधान में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।
समर्थ योजना (SAMARTH scheme)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरक सहायता प्रदान करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के अनुसार मांग संचालित (demand driven), रोजगार उन्नयन (placement oriented) राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework) प्रदान करना है। ○ यह हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देता है। <ul style="list-style-type: none"> > इसका लक्ष्य 10 लाख व्यक्तियों (संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षित करना है।
वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैबव) / VAIBHAV) शिखर सम्मेलन (Vaishvik Bhartiya Vaigyanik (VAIBHAV) summit)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य भारतीय अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों के ज्ञान-आधार के विस्तृत करने के लिए विश्व भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों (R&D organisations) में कार्यरत भारतीय प्रवासियों को शामिल करने हेतु त्रिंग्रहित करना है। ○ इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation: DRDO) द्वारा आयोजित किया जाएगा। ○ कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2020 को किया जाएगा।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

